



# बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती)

निकट सी.पी.आर.एस., पो.ऑ. बिहार भेटनरी कॉलेज, जगदेव पथ, पटना 800 014

Website : [www.bameti.org](http://www.bameti.org)

Email : [bameti.bihar@gmail.com](mailto:bameti.bihar@gmail.com), [bameti.bihar@rediffmail.com](mailto:bameti.bihar@rediffmail.com)

Tel. 0612-2220200



पत्रांक: 84 / बामेती / 2016-17 / 840

दिनांक 20.06.17

प्रेषक,

गणेश राम

निदेशक,

बामेती, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी जिला कृषि पदाधिकारी

सभी परियोजना निदेशक, आत्मा

सभी वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान, कृषि विज्ञान केन्द्र

विषय—कौशल विकास मिशन योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश की ड्राफ्ट प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कौशल विकास मिशन योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अपने प्रशिक्षण संस्थानों का बी0एस0डी0एम0 पोर्टल पर निबंधन नहीं कराने तथा कोर्सवार टी0ओ0टी0 के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक की सूची नहीं उपलब्ध कराने के कारण कौशल प्रशिक्षण का कार्य बाधित हो रहा है साथ ही वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक का निर्धारित प्रपत्र में कार्ययोजना भी मांगा जा रहा है। कौशल विकास मिशन योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश तैयार किया गया है जो इसके साथ संलग्न है।

अतः कार्यान्वयन अनुदेश की ड्राफ्ट कॉपी संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

विश्वासभाजन

20/6/17

निदेशक

बामेती, बिहार, पटना



# बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती)

निकट सी.पी.आर.एस., पो.ऑ. बिहार भेटनरी कॉलेज, जगदेव पथ, पटना 800 014  
Website : [www.bameti.org](http://www.bameti.org) Tel. 0612-2220200  
Email : [bameti.bihar@gmail.com](mailto:bameti.bihar@gmail.com), [bameti.bihar@rediffmail.com](mailto:bameti.bihar@rediffmail.com)



पत्रांक: 84 / बामेती / 2016-17 / 840

दिनांक 20.06.17

प्रेषक,

गणेश राम  
निदेशक,  
बामेती, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी जिला कृषि पदाधिकारी  
सभी परियोजना निदेशक, आत्मा  
सभी वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान, कृषि विज्ञान केन्द्र

विषय—कौशल विकास मिशन योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश की ड्राफ्ट प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कौशल विकास मिशन योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अपने प्रशिक्षण संस्थानों का बी0एस0डी0एम0 पोर्टल पर निबंधन नहीं कराने तथा कोर्सवार टी0ओ0टी0 के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक की सूची नहीं उपलब्ध कराने के कारण कौशल प्रशिक्षण का कार्य बाधित हो रहा है साथ ही वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक का निर्धारित प्रपत्र में कार्ययोजना भी मांगा जा रहा है। कौशल विकास मिशन योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश तैयार किया गया है जो इसके साथ संलग्न है।

अतः कार्यान्वयन अनुदेश की ड्राफ्ट कॉपी संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ज्ञापांक: 84 / बामेती / 2016-17 / 840

प्रतिलिपि – निदेशक, प्रसार शिक्षा, डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/निदेशक प्रसार शिक्षा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक

बामेती, बिहार, पटना

दिनांक 20.06.17

निदेशक

बामेती, बिहार, पटना

बिहार सरकार  
कृषि विभाग  
बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती)

कौशल विकास मिशन के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश

1. **परिचय** –राज्य में युवक/युवतियों को उनके कौशल ज्ञान की गुणवत्ता बढ़ाने तथा पेशेवर ज्ञान देने के लिए विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में बिहार कौशल विकास मिशन का गठन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में 05 वर्षों में कुल एक करोड़ युवा/युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. **कार्यक्रम का उद्देश्य**—इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—
  - युवक एवं युवतियों को कृषि के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण देकर कुशल तकनीकी एवं व्यावसायिक योग्यता/क्षमता का विकास करना।
  - युवक एवं युवतियों को कृषि के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षणोपरांत रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराना।
  - राज्य में कुशल कामगारों का एक सतत पूल विकसित करना ताकि आने वाले समय में औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनके माँग के अनुरूप कुशल कारीगर उपलब्ध हो सकें तथा प्रतिष्ठानों में गुणवत्तापूर्ण सामग्री/उपादान का निर्माण हो सके।
  - औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करना।
  - कौशल विकास केन्द्रों को चिन्हित कर अनुदान देकर अधिक से अधिक युवक एवं युवतियों को कौशल प्रशिक्षण का आयोजन कराना।
  - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित कर तथा विशेषज्ञों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देकर अद्यतन तकनीकी का ज्ञान प्राप्त कराना।
  - किसानों के फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना।
  - कृषि के क्षेत्र में उद्यमियों/किसानों के आमदनी में वृद्धि करना।
3. कौशल विकास मिशन अंतर्गत प्रत्येक कोर्स के लिए परियोजना प्रस्ताव अनुसूची-1, 2 एवं 3 तथा प्रत्येक विषय के लिए कार्ययोजना अनुसूची-4 में तैयार किया जाएगा जिसमें बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा स्वीकृत Cost Norm दर ही लागू माना जाएगा।
4. **परियोजना प्रस्ताव/कार्ययोजना 2017-18 तैयार करने हेतु Cost Norms का विवरण निम्न प्रकार है -**
  - 4.1. **Base Cost/ Training Cost** - वर्तमान में कोटि वार Cost Norms निम्न प्रकार से है -
    - (क) कोटि 1 - रु0 42.40 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति पाठ्यक्रम प्रति घंटा फार्म मशीनरी, फार्म मैकेनाइजेशन, प्रेसिजन फार्मिंग

(ख) कोटि 2 - रू0 36.30 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति पाठ्यक्रम प्रति घंटा  
कृषि, बागान, बागवानी, फूलों की खेती

(ग) कोटि 3 - रू0 30.30 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति पाठ्यक्रम प्रति घंटा  
मधुमक्खी पालन, घर सजावट कला - बोनसाई, फूल, पानी गिरना, माइनर वन  
उत्पाद प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन, प्राकृतिक फाइबर उत्पाद प्रसंस्करण और मूल्य  
वर्धन (रेशम उत्पादन, जूट, कपास, सन और विविध उत्पाद)

नोट:-इस बेस कॉस्ट/प्रशिक्षण कॉस्ट में प्रतिघंटा दर में निम्नलिखित लागत घटक शामिल है

- i. उम्मीदवारों को इक्ठठा करना, प्रचार-प्रसार एवं जोड़ना (Mobilization of Candidates)
- ii. नियोजन उपरान्त ट्रैकिंग/पर्यवेक्षण (Post-Placement Tracking /Monitoring)
- iii. पाठ्यक्रम (Curriculum)
- iv. प्लेसमेन्ट/तैनाती व्यय (Placement Expenses)
- v. प्रशिक्षक प्रशिक्षण (Trainer's Training)
- vi. उपकरण (Equipment)
- vii. संरचना लागत/उपयोगी सुविधाओं का परिशोधन/उपयोग (Amortization of infrastructure costs / Utilities)
- viii. शिक्षण सहायता (Teaching Aid)
- ix. कच्ची सामग्री (Raw material)
- x. प्रशिक्षकों का वेतन (Salary of trainers)
- xi. प्रशिक्षण में पोर्टल उपयोग के लिए देय शुल्क-पोर्टल के उपयोग के लिए निर्धारित शुल्क प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति पाठ्यक्रम (वास्तविक प्रशिक्षण के लिए पोर्टल उपयोग) प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी के भुगतये राशि में से रू0 0.50 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति पाठ्यक्रम प्रति घंटा की दर से BSDM को भुगतान किया जाना है। डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री उपयोग के लिए निर्धारित शुल्क प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सी को अलग से संसूचित किया जायेगा।

यह सभी राशि संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा BSDM को उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि Training Cost में सम्मिलित है। प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसी द्वारा भुगतये राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से BSDM Account Name-Bihar skill Development Mission Payable at- Patna को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा।

वर्ष 2017-18 के बाद प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर से Base Cost में वृद्धि कर परियोजना प्रस्ताव किया जाएगा परन्तु संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित दर ही लागू माना जाएगा।

